



राज्य सरकार की अभिनव पहल

अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27



Shri Bhajan Lal Sharma
(Honorable Chief Minister)



Shri Avinash Gehlot
(Honorable Cabinet Minister)

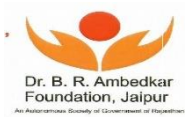
अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को
पी-एच.डी. स्तर पर विदेश में अनुसन्धान के लिए 25.00 लाख रुपये तक की सहायता

योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, योजना के लाभ लेने हेतु योग्यता एवं प्रक्रियां

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता:-

- I. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मानव शास्त्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हो।
 - II. भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (संबन्धित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन (Accreditation) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान) से निम्नांकित विषयों के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:-
- (2) आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
 - (3) आय सीमा:- अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 6.00 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
 - (4) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
 - (5) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का मूल निवासी हो।
 - (6) वित्तीय सहायता:- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पी-एच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी:-
- (i) प्रथम वर्ष - 10.00 लाख रुपये
 - (ii) द्वितीय वर्ष - 10.00 लाख रुपये
 - (iii) तृतीय वर्ष - 5.00 लाख रुपये
- (7) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदन को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-
- (अ) अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 15.10.2026 से 14.11.2026 तक आवेदन करना होगा।
 - (ब) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पी-एच.डी. हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, शोध शीर्षक एवं रूपरेखा आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
 - (स) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
 - (द) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को ई-मेल/डाक द्वारा भिजवाना होगा।
(ई-मेल आई.डी. secretaryapj@gmail.com, Govt.Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN)
 - (य) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
 - (8) चयन प्रक्रिया:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अधिकतम 05 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन छानबीन समिति एवं राज्य अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा।
 - (9) योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.ambedkarfoundationjaipur.in पर देखी जा सकती है।

योजनान्तर्गत अधिकतम देय राशि - 25,00,000 रुपये (3 वर्षों के लिए) प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों का चयन



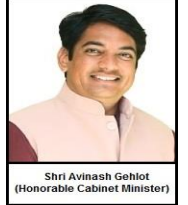
डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम- मूण्डला, पोस्ट- रूपवास, तहसील- जमवारामगढ़, जिला- जयपुर, राजस्थान-302027



राज्य सरकार की अभिनव पहल

अम्बेडकर फैलोशिप योजना वर्ष 2026-27



अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को
पी-एच.डी. स्तर पर राज्य में अनुसन्धान के लिए 5.40 लाख रुपये तक की सहायता

योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, योजना के लाभ लेने हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता:-

- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं मानव शास्त्र में 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित निम्नांकित विषयों के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:-
(a) समाजशास्त्र (b) लोक प्रशासन (c) विधि (d) अर्थ शास्त्र (e) राजनीति शास्त्र (f) मानव शास्त्र
- चयन प्रक्रिया में केन्द्रीय या राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
- अभ्यर्थी राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग का मूल निवासी हो।

(2) आय सीमा:- अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 2.50 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।

(3) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदन की निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-

- अम्बेडकर फैलोशिप हेतु आवेदन दिनांक 15.10.2026 से 14.11.2026 तक आवेदन करना होगा।
- विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
- आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, मूल निवास, जाति एवं पी-एच.डी. हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, शोध शीर्षक एवं रूपरेखा आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
- फैलोशिप हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को ई-मेल/डाक द्वारा भिजवाना होगा। (ई-मेल आई.डी. secretaryapj@gmail.com, Govt.Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN)

(4) चयन प्रक्रिया:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से फैलोशिप योजनान्तर्गत अधिकतम 06 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन छानबीन समिति एवं राज्य अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा।

(5) योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.ambedkarfoundationjaipur.in पर देखी जा सकती है।

योजनान्तर्गत फैलोशिप के रूप में अधिकतम देय राशि - 15,000 रुपये (3 वर्षों के लिए) प्रतिवर्ष 6 विद्यार्थियों का चयन



डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम- मूण्डला, पोस्ट- रूपवास, तहसील- जमवारामगढ़, जिला- जयपुर, राजस्थान-302027